

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1002 / 1617057 दिनांक 13-01-2017 तथा परिपत्र संख्या-1122 दिनांक 10-02-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभागीय VYAS Central Application Software में Digital Signature Register किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। साथ ही जोन के ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0) द्वारा अपने सम्भाग के अधीनस्थ अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर कराने की प्रक्रिया की Monitoring करते हुए समस्त अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर VYAS Central Software पर दिनांक 15-02-2017 तक रजिस्टर कराने के भी निर्देश दिये गये हैं।

2- विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध Digital Signature Registration Pending Report में दिनांक 28-04-2017 तक कुल 211 अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर हेतु निम्नानुसार पेन्डिंग प्रदर्शित हो रहे हैं।


**Digitally Signed Officers Report****Report Generation Time 04/28/2017 10:41 AM**

Zone	DSC Issued	DSC Registered	DSC Not Registered
Agra	100	98	2
Aligarh	109	105	4
Allahabad	96	89	7
Bareilly	71	67	4
Etawah	61	48	13
Faizabad	87	65	22
Gautambudha Nagar	74	64	10
Ghaziabad I	105	88	17
Ghaziabad II	66	57	9
Gorakhpur	91	80	11
Jhansi	68	56	12
Kanpur I	83	72	11
Kanpur II	76	69	7
Lucknow I	97	84	13
Lucknow II	76	69	7
Meerut	61	54	7
Moradabad	114	97	17
Saharanpur	99	86	13
Varanasi I	85	78	7
Varanasi II	108	90	18
	<b>1727</b>	<b>1516</b>	<b>211</b>

विभागीय वेबसाइट पर MIS Report में Digital Signature Report में अधिकारीवार Pendency की सूचना भी उपलब्ध है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारियों को दिनांक **05-05-2017** तक अपने डिजिटल सिग्नेचर VYAS Central Application Software में Register करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा सभी ज्वाइन्ट कमिश्नर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर कि उनके अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारियों द्वारा अपना डिजिटल सिग्नेचर VYAS Central पर रजिस्टर कर लिया गया है, दिनांक 08-05-2017 तक मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

परिपत्र संख्या-1424 / 1617071 दिनांक 24-03-2017 द्वारा ई-तामीला के क्रम में दिनांक 01-04-2017 से अनिवार्य रूप से समस्त ई-आर्डर तथा ई-नोटिस डिजिटली साइन करते हुए ही निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये थे परन्तु यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा अभी भी प्रोसेस सर्वर के माध्यम से नोटिस / आदेश व्यापारियों को प्रेषित किये जा रहे हैं जिनके ई-मेल / मोबाइल फोन नम्बर विभाग में रजिस्टर हैं। ऐसे व्यापारी जिनके ई-मेल पते तथा मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड हैं उन्हें प्रत्येक दशा में ई-तामीली प्रक्रिया से ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नोटिस तथा आर्डर व्यापारी की रजिस्टर्ड ई-मेल तथा मोबाइल पर प्रेषित किये जाएँ। ई-तामीला व्यवस्था का उपयोग समस्त अधिकारियों से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

  
.. 28/04/17  
(मुकेश कुमार मिश्रा)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश।